

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6-7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज0)

बईजलास श्री मुकेश कुमार मीणा, (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

उनवान

- 1-2 कैलाश, हेमराज पुत्र देबी कुम्हार निवासी रायपुर तहसील शाहपुरा
- 3- मु. गीता बेवा देबी कुम्हार निवासी रायपुर तहसील शाहपुरा
- 4- मु. लीला पुत्री देबी कुम्हार निवासी रायपुर तहसील शाहपुरा

- वादीगण

बनाम

- 1- मु. सीमा पुत्री रामचन्द्र कुम्हार निवासी रायपुर तहसील शाहपुरा हाल सरदारनगर तहसील बनेड़ा
- 2- मु. सोहनी बेवा रामचन्द्र कुम्हार निवासी रायपुर तहसील शाहपुरा हाल सरदारनगर तहसील बनेड़ा
- 3 - उपपंजीयक/तहसीलदार शाहपुरा जिला शाहपुरा

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र : बंटवाड़ा आराजियात व स्थाई निषेधाज्ञा


मुकदमा नम्बर 84 सन् 2018 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रुबरु अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई वX मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुवम दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :-

वाद वादीगण अदम हाजरी अदम पैरवी खारिज किया जाता है।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 21 माह 02 सन् 2024 को जारी की गई।


(मुकेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा